भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, 'नारकोटिक्स हाऊस', नीमच (म.प्र.)458441	सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics O/o the Deputy Narcotics Commissioner, "Narcotics House", Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX: (07423) 223030 E-mail: supdt-neemuch@cbn.nic.in

F.No.I(22)16/Adm./Vehicle Auction/2021- Dated : .10.2022

:: नीलामी की सूचना ::

विषयः **निष्प्रयोजित घोषित वाहनों के निस्तारण के संबंध में।**

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच द्वारा केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में निष्प्रयोजित पड़े 01 "चार पहिया" वाहन व 17 "दो पहिया" वाहनों के निस्तारण हेतु "जो जंहा है वही" के आधार पर नीलामी प्रस्तावित की जा रही है। नीलामी हेतु प्रस्तावित वाहनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

S.No.	Registration No.	Make & Model	Stationed at	Reserve price (आरक्षित मूल्य)
1.	MP44-D-0029	Maritu Gypsy, 1999	P & I Cell, Ujjain	Rs. 45000/-
2.	MP44-B-1496	Yamaha YBX, 1999	P & I Cell, Ujjain	Rs. 2900/-
3.	MP07-D-4283	Yamaha Rx-100, 1993	P & I Cell, Ujjain	Rs. 2600/-
4.	MP44-B-1491	Yamaha YBX, 1999	P & I Cell, Ratlam	Rs. 3500/-
5.	MP07-B-2685	Yamaha Rx-100, 1991	P & I Cell, Ratlam	Rs. 4000/-
6.	MP44-B-1494	Yamaha YBX, 1999	DNC(O), Neemuch	Rs. 2500/-
7.	MP44-B-1495	Yamaha YBX, 1999	DNC(O), Neemuch	Rs. 3000/-
8.	MP44-B-3941	Yamaha YBX, 2000	DNC(O), Neemuch	Rs. 3000/-
9.	MP44-B-3942	Yamaha YBX, 2000	DNC(O), Neemuch	Rs. 3000/-
10.	MP44-B-3943	Yamaha YBX, 2000	DNC(O), Neemuch	Rs. 3500/-
11.	MP14-L-2684	Yamaha RXG, 1998	DNC(O), Neemuch	Rs. 2500/-
12.	MP14-L-2685	Yamaha RXG, 1998	DNC(O), Neemuch	Rs. 2500/-
13.	MP14-L-2687	Yamaha RXG, 1998	DNC(O), Neemuch	Rs. 2500/-
14.	MP14-L-2689	Yamaha RXG, 1998	DNC(O), Neemuch	Rs. 3000/-
15.	MP14-L-2690	Yamaha RXG, 1998	DNC(O), Neemuch	Rs. 2500/-
16.	MP-09-4285	Bullet, 1989	DNC(O), Neemuch	Rs. 6000/-
17.	MP-09-4288	Bullet, 1989	DNC(O), Neemuch	Rs. 6500/-
18.	MP44-B-1746	Yamaha YBX, 2000	P & I Cell, Siingoli	Rs. 3100/-

2. उक्त सभी वाहनों को सक्षम अधिकारी द्वारा निष्प्रयोजित घोषित किया जा चुका है व वाहनों का मूल्यांकन संबंधित लोक निर्माण विभाग द्वारा कर वाहनों का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया हैं, जो कि उपरोक्त तालिका में **"Reserve price (आरक्षित मूल्य)"** के अंतर्गत दशार्या गया है।

3. उक्त सभी वाहनों हेतु अलग–अलग सीलबंद किए गये कोटेशनों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार वाहनों के निस्तारण हेतु आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु व्यक्ति/फर्म, जो कि उक्त वाहनों को खरीदने में रूचि रखता है, अपने उच्चतम दर के कोटेशन प्रत्येक वाहन हेतु अलग–अलग सील बंद लिफाफों

में कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में **दिनांक 07.11.2022 को शाम 3:00 बजे** से पहले जमा करना होगा।

4. उक्त संबंध में प्रस्तुत सीलबंद कोटेशनों के लिफाफों पर साफ शब्दो में लिखा होना आवश्यक है कि "QUOTATION FOR PURCHASE OF CONDEMNED VEHICLE Make & Model"। प्राप्त सभी कोटेशनों को इस हेतु गठित समिति द्वारा निर्धारित **दिनांक 07.11.2022 को शाम 4:00 बजे** खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

5. उक्त वाहनों का निरीक्षण श्रीमान अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उज्जैन (तालिका के क्रमांक 01—03 के वाहनों हेतु), श्रीमान अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, रतलाम (तालिका के क्रमांक 04—05 के वाहनों हेतु), श्रीमान अधीक्षक (प्रशासन), कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच (तालिका के क्रमांक 06—17 के वाहनों हेतु) तथा श्रीमान अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, सिंगोली (तालिका के क्रमांक 18 के वाहन हेतु) की उपस्थिति में **04.11.2022 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 03:00 बजे तक** प्रत्येक कार्य दिवस में किया जा सकता है।

****

वाहनों की नीलामी कार्यवाही हेतु नियम व शर्ते

i. वाहनों की नीलामी ''जो जंहा है वही'' के आधार पर की जाएगी। अतः प्रत्येक बोलीदाता को प्रत्येक वाहन हेतु अलग–अलग सीलबंद किया गया कोटेशन जमा करना होगा।

ii. नीलामी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बोलीदाता को उपरोक्त क्र.सं. 01 के चार पहिया वाहन हेतु रू. **3000/– (तीन हजार हजार रू. मात्र)** व अन्य सभी दो–पहिया वाहनों हेतु प्रत्येक के लिए अलग–अलग **रू. 1000/– (एक हजार हजार रू. मात्र)** की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit), खातेदार के रूप में "D.D.O. CBN, Neemuch" के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में आवश्यक रूप से जमा करना होगा।

iii. बिना सुरक्षा जमा राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (Earnest Money Deposit) के दिये जाने वाले कोटेशन पर विचार नही कर उसे खारिज कर दिया जाएगा।

iv. प्राप्त सभी कोटेशनों को गठित समिति द्वारा निर्धारित दिनांक **07.11.2022 को शाम 4:00 बजे** खोला जाएगा एवं कोटेशन में उच्चतम दर देने वाले व्यक्ति/फर्म को सफल बोलीदाता माना जाएगा। यदि बोलीदाता अथवा बोलीदाता के प्रतिनिधि चाहे तो कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

v. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के 3 कार्य दिवसों के भीतर "D.D.O. CBN, Neemuch" के पक्ष में नकद/आहरित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से बोली राशि आवश्यक रूप से जमा करना होगा।

vi. सफल बोलीदाता की सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को निविदा राशि जमा होने के बाद ही रिलीज किया जाएगा। सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को बोली राशि के रूप में समायोजित नही किया जा सकेगा, एवं नीलामी में अनियमितता पर सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को जब्त कर लिया जाएगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा निविदा राशि जमा नही कराई जाती है तो उस वाहन हेतु उच्चतम बोली से कम व आरक्षित मूल्य से अधिक राशि के बोलीदाता को मौका दिया जा सकता है। ऐसा नही होने पर नीलामी प्रक्रिया रद्द कर पूर्ण रूप से पुनः शुरू की जाएगी।

vii. सफल बोलीदाता द्वारा आवासीय पते के संबंध में कागजी रूप में साक्ष्य (बोलीदाता, व्यक्ति होने की दशा में पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि व बोलीदाता, फर्म होने की दशा में रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र आदि) प्रस्तुत करने पर ही नीलाम किए गए वाहन को ले जाने की अनुमति होगी।

viii. सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि जमा कराने के 2 दिवस के भीतर ही नीलामी के तहत प्राप्त किए गए वाहन को स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।

ix. नीलामी में तहत विक्रय किए गए वाहन के लिए विभाग द्वारा उसकी योग्यता व गुणवत्ता की कोई गारंटी नही दी जाएगी।

x. वाहन की बिक्री के पश्चात्त वाहन का वाणिज्यिक या अन्य उपयोग करने के लिए वाहन के हस्तातंरण और अन्य किसी दायित्व के लिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

xi. सफल बोलीदाता प्राप्त किये गए वाहन के पंजीकरण प्रमाण–पत्र और आर.टी.ओ द्वारा आवश्यक अन्य किसी दस्तावेज को प्राप्त करने हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा व इसके लिए आवश्यक खर्चे भी स्वयं उसके द्वारा ही वहन किए जाएगें। यह कार्यालय इस संबंध में उसकी ओर से किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

xii. यदि सफल बोलीदाता वाहन को स्क्रेप के रूप में उपयोग में लेना चाहता है तो उसे चेचिस नंबर वाले पार्ट को काटकर इस कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

xiii. बोलीदाताओं द्वारा अपनी बोली वापस नही ली जा सकती है और यदि वे ऐसा करते है, तो उनकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

xiv. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों, नीमच कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय इस निविदा को रद्द करने, किसी भी कोटेशन को अस्वीकार करने या निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी नियम व शर्तों में संशोधन/हटाने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

xv. नीलामी हेतु उपलब्ध वाहन की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रोफार्मा अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है।

17/10/18
(स्वच्छंद चव्हाण)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान नारकोटिक्स आयुक्त महोदय, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) –474006 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री सेल्वा मुरूगन, अधीक्षक, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.)–474006 को नीलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने के निर्देश के साथ प्रेषित है।
3. श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सज्जन बाग रिसोर्ट के पास, मऊ रोड़, नीमच (म.प्र.)–458441, श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (विधुत एंव यांत्रिकी), उपसंभाग नीमच (म.प्र.)–458441 को इस आशय से प्रेषित है की नीलामी की सूचना के प्रचार हेतु आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का श्रम करें।
4. श्रीमान अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, उज्जैन को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाने वाली प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उज्जैन एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (विधुत एंव यांत्रिकी), उज्जैन की प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित कार्यालय से इनकी दिनांकित पावती प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. श्रीमान अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, रतलाम को को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाने वाली प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है तथा श्रीमान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रतलाम एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (विधुत एंव यांत्रिकी), रतलाम की प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित है कि संबंधित कार्यालय से इनकी दिनांकित पावती प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
6. श्रीमान अधीक्षक (निवारक), निवारक एवं आसूचना प्रकोष्ठ, सिंगोली को नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाने वाली प्रति के साथ सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच।

17/10/18
(स्वच्छंद चव्हाण)
सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

अनुलग्नक "क"

नीलामी हेतु निष्प्रयोजित वाहन की बोली हेतु कोटेशन भेजने का प्रारूप

Full Name of the Bidder	
Address	
Contact No.	
Amount of Earnest Money	Rs. (In Figures)
	Rs. (In Words)
Particulars of Demand Draft	No.:-
	Date:-
	Bank:-
	Branch:-

- ❖ बोलीदाता का पूर्ण पता साथ ही उससे संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे (प्रमाणित वोटर आई.डी./आधार कार्ड/पेन कार्ड)।
- ❖ दिए गये पते पर बोलीदाता को पत्र–व्यवहार हेतु सदैव उपलब्ध होना होगा।

कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच द्वारा निष्प्रयोजित घोषित वाहनों की नीलामी के लिए मै/हम मेरी/हमारी अपनी उच्चतम दर निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूं/करते हैं।

S.No.	**Registration No.**	**Make & Model**	**Reserve price** (आरक्षित मूल्य)	**Amount Offered** (बोलीदाता द्वारा दी जाने वाली उच्चत्तम दर)
				Rs. (In Figures)
				Rs. (In Words)

इस नीलामी सूचनाके अंतर्गत उल्लेखित सभी नियमों व शर्तो (विशेष रूप से सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit)से संबंधित शर्तें) को ध्यानपूर्वक एवं गहनता से पढ़ लिया है एवं मै इनका पालन करने के लिए पुर्णतः सहमत हूं। यदि मेंरे द्वारा इन नियमों/शर्तों का उल्लघंन किया जाता है तो मेंरे द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि (Earnest Money Deposit) को शर्तों के तहत पूर्ण रूप से जब्त होने देने के लिए सहमत हूं। मै वचन देता हुं की इस नीलामी में सफल बोली के तहत प्राप्त वाहन का उपयोग मेंरे द्वारा सिर्फ वैद्य कार्य के लिए किया जाएगा।

स्थान : हस्ताक्षर :

दिनांक : नाम :